न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 165/2022

1 परमेश्वरी आयु 60 साल पत्नी घासीराम जाति स्वामी निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 नेमीचन्द आयु 30 साल पुत्र स्व. बृजलाल

2 धर्मपाल आयु 42 साल पुत्र स्व. बृजलाल कोम स्वामी निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

3 इन्द्रा आयु 40 साल पुत्री बृजलाल पत्नी बाबुलाल जाति स्वामी निवासी चनाना हाल निवासी पचेरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

4 मन्जू आयु 44 साल पुत्री बृजलाल पत्नी गुरूदयाल जाति स्वामी निवासी चनाना तहसील चिड़ावा हाल नारेड़ी, निजामपुरा, हरियाणा।

5 सिलोचना आयु 23 साल पुत्री बृजलाल पत्नी जयसिंह जाति स्वामी निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू हाल निवासी नारेड़ी निजामपुर, हरियाणा।

6 राजबाला आयु 42 साल पत्नी बाबुलाल जाति स्वामी निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

7 सोनू आयु 19 साल पुत्र बाबुलाल जाति स्वामी निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

8 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चनाना जरिये मैनेजर बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी नेमीचन्द
बनाम इन्द्रा वगै. मु.नं. 55/2020 निर्णय
व डिक्री दिनांक 11.10.2022

उपस्थिति :

1. श्री सतीशचन्द्र कुल्हरि, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयसिंह बोरान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने ग्राम चनाना की भूमि खसरा नम्बर 644, 685, 686 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

04.2021 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 11.10.2022 को विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.09.2021 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। इस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.09.2022 को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए थे। पुनः तैयार विभाजन प्रस्ताव में रास्ते का प्रावधान नहीं रखा गया है। इस पर अपीलांट ने पुनः आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय में बिना किसी आधार के अपीलांट की आपत्ति खारिज कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दुबारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये इस पर तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। इन विभाजन प्रस्ताव पर पुनः अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आपत्ति खारिज करते हुये विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दुबारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये इस पर तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। इन विभाजन प्रस्ताव पर पुनः अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आपत्ति खारिज करते हुये विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर